10रु. कोर्ट फी Rs.10 COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

आवेदन क्रमांक : /2013 (निगरानी-R-3913-II/13)

1. अमोल सिंह पुत्र श्री हनुमंत सिंह यादव, आयु–55 वर्ष, व्यवसाय– कृषि
2. बृजभान सिंह पुत्र श्री हनुमंत सिंह, आयु–50 वर्ष, व्यवसाय– कृषि,

समस्त निवासीगण–ग्राम सेमरी (ईसागढ), तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)

––आवेदकगण

बनाम

1. कमलेश पत्नि श्री हरिचरण, जाति–ब्राह्मण, निवासी– ग्राम पहाड़ाकला, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
2. हरिदास उर्फ गुलाब पुत्र श्री सीताराम, जाति–ब्राह्मण, व्यवसाय–पुजारी, आयु– 60 साल, निवासी–पडौरा गांव, (पूर्व ग्राम दसेरिया), तहसील पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
3. उपखण्ड अधिकारी पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
4. तहसीलदार, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
5. प्रभुदयाल त्रिपाठी, (पटवारी), पूर्व हल्का नंबर–3, हाल निवासी–पिछोर, जिला शिवपुरी (म.प्र.) द्वारा तहसील कार्यालय, खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)
6. ग्राम पंचायत दसेरिया, ग्राम दसेरिया, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी द्वारा ग्राम पंचायत सचिव

——अनावेदकगण

श्री पी. के. तिवारी, अभि० 31-10-13 को
2736
28/11/13

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

आवेदन–पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांक 27-12-12 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी पिछोर के प्र.क्र. 24/11-12 (अपील)

पुनरीक्षण याचिका

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से पुनरीक्षण याचिका निम्नानुसार प्रस्तुत है–

1. यह कि, उक्त निगरानी ग्राम दसेरिया, तहसील खनियाधाना, जिला शिवपुरी में स्थित कृषि भूमि सर्वे नंबर– 463 रकवा 1.22 एवं सर्वे नंबर–464, रकवा 0.34, कुल रकवा 1.56 हैक्टेयर, पटवारी हल्का नंबर–58, (पिछला हल्का नंबर–3) के फर्जी नामांतरण के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।
2. यह कि, भूमि 1974–75 से धर्मदास पुत्र श्री सीताराम ब्राह्ण, निवासी–ग्राम दसेरिया के नाम के भू–स्वामित्व में दर्ज थी। 1974–75 की खसरा प्रति **अनेक्चर ए/2** इस आवेदन–पत्र के साथ संलग्न है।
3. यह कि, धर्मदास पुत्र श्री सीताराम की मृत्यु होने के पश्चात् उक्त विवदित भूमि धर्मदास के अनुज हरिदास पुत्र श्री सीताराम के भू–स्वामित्व में राजस्व अभिलेख में इंद्राज हुई। वर्ष 1990–91 की खसरा प्रति आवेदन के साथ **अनेक्चर ए/3** संलग्न है।
4. यह कि, उक्त भूमि हरिदास उर्फ गुलाब दास के स्वामित्व में दर्ज होने के पश्चात् हरिदास उर्फ गुलाब दास के द्वारा धन की आवश्यकता होने के कारण दिनांक 09/05/1991 में उक्त भूमि के संबंध में एक विक्रय अनुबंध–पत्र आवेदकगण के साथ निष्पादित किया, जिसमें संपूर्ण विक्रय धन कुल 3,000/– रूपये अनुबंधित हुआ, जिसमें से कुल 1,500/– रूपये अनुबंध के समय प्राप्त कर लिये गए और शेष 1,500/– रूपये वक्त पंजीयन प्राप्त करने का वचन दिया गया एवं यह शर्त उक्त अनुबंध–पत्र में समाविष्ट की गई कि यदि अनुबंध दिनांक से दो माह के अंदर उक्त भूमि की भू–अधिकार एवं ऋण पुस्तिका बनवाकर विक्रय–पत्र संपादित करा दूंगा यदि उक्त अवधि में विक्रय पंजीबद्ध नहीं करा पाया तो अनुबंधग्रहिता को यह अधिकार होगा कि वह सश्रम न्यायालय में दावा कर मुझ व मेरे वारिसान से उक्त विक्रय–पत्र

2736 28/6/17

दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY
दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-3913-तीन/13 **जिला -** शिवपुरी

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1/4/2019	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के अंतिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित अंतिम आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 20.06.2019 को आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष उपस्थित हों। सदस्य **आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर**	